

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(22)राज/वाद/14पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 26.05.17

:: आदेश ::

श्री किशन प्रताप सिंह राठौड, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक,  
जैसलमेर की सेवा अवधि दिनांक 01.03.17 से दिनांक 28.02.18 तक एतद् द्वारा  
वृद्धि की जाती है।

आज्ञा से

*sd*

(शीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर।
7. जिला कलक्टर, जैसलमेर।
8. कोषाधिकारी, जैसलमेर।
9. श्री किशन प्रताप सिंह राठौड, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक,  
जैसलमेर।
10. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
11. सहायक लेखाधिकारी, वादकरण।
12. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

*sd*  
(शीटा तेजपाल)

26.5.17.  
विशिष्ट शासन सचिव, विधि